

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी,
बुलन्दशहर, सहारनपुर, बिजनौर, ज्योतिबाफूले नगर, बदायूँ, शाहजहाँपुर, काशीराम नगर,
बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया,
वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी एवं अम्बेडकर नगर।

पत्रांक:-295 / सम्पेक्षा / आई0ए0वाई0(एससीएसपी) / 2012-13 दिनांक: 5 जुलाई, 2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-216/26-ब0प्र0-2012-10 बजट/2010, दिनांक 18-5-2012 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अनुसूचित जाति सब-प्लान मद की प्राविधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रू0 7500.00 लाख (रूपया पचहत्तर करोड़ मात्र) केन्द्रांश प्राप्ति के प्रत्याशा में स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि में से रू0 4858.88 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। शेष बची धनराशि रू0 2641.12 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ इकतालीस लाख बारह हजार मात्र) संलग्नक के कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:-

1- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये। ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

3- आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये।

4- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा। आवंटित धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे नियमानुसार समय से समर्पित किया जायेगा।

5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना इस कार्यालय को दे दी जाये।


7- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष धटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

8- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9- केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ-192 पर बजट आवंटन अंकित करे दिया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक: 275/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई0(एससीएसपी)/2012-13 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
- 3- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5- सम्बन्धित मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-3/5/एनआईसी की प्रति।
- 9- संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण को उनके पत्रांक-216/26-ब0प्र0-2012-10 बजट/2010, दिनांक 18-5-2012 के क्रम में।



(महेश कुमार अरिनहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि | प्रगामी योग |
|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MEERUT | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GHAZIABAD | 0.00 | 0.00 |
| 3 | BULANDSHAHAR | 112.80 | 112.80 |
| 4 | G.B. NAGAR* | 0.00 | 0.00 |
| 5 | BAGPAT | 0.00 | 34.29 |
| 6 | SAHARANPUR | 158.64 | 158.64 |
| 7 | MUZAFARNAGAR | 0.00 | 0.00 |
| 8 | MORADABAD | 0.00 | 172.05 |
| 9 | BIJNOR | 170.41 | 170.41 |
| 10 | RAMPUR | 0.00 | 0.00 |
| 11 | J.B.F. NAGAR | 50.94 | 50.94 |
| 12 | BAREILLY | 0.00 | 130.05 |
| 13 | BADAUN | 187.39 | 187.39 |
| 14 | SHAHJAHANPUR | 200.14 | 200.14 |
| 15 | PILIBHIT | 0.00 | 169.58 |
| 16 | AGRA | 0.00 | 109.99 |
| 17 | MAINPURI* | 0.00 | 75.33 |
| 18 | MATHURA | 0.00 | 0.00 |
| 19 | FIROZABAD | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ALIGARH | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ETAH | 0.00 | 68.01 |
| 22 | KANSHIRAM NAGAR | 52.53 | 52.53 |
| 23 | HATHRAS | 0.00 | 0.00 |
| 24 | JHANSI | 0.00 | 42.54 |
| 25 | JALAUN | 0.00 | 48.12 |
| 26 | LALITPUR | 0.00 | 35.15 |
| 27 | BANDA | 42.33 | 42.33 |
| 28 | HAMIRPUR | 28.33 | 28.33 |
| 29 | MAHOBA | 21.46 | 21.46 |
| 30 | CHITRAKUT | 25.85 | 25.85 |
| 31 | ALLAHABAD | 166.36 | 166.36 |
| 32 | FATEHPUR | 147.21 | 147.21 |
| 33 | PRATAPGARH | 0.00 | 162.30 |
| 34 | KAUSHAMBHI | 0.00 | 90.15 |
| 35 | KANPUR NAGAR | 0.00 | 116.40 |
| 36 | KANPUR DEHAT | 0.00 | 113.48 |
| 37 | ETAWAH | 0.00 | 79.78 |
| 38 | FARRUKHABAD | 94.53 | 94.53 |

a



इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि | प्रगामी योग |
|----------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | KANNAUJ | 70.23 | 70.23 |
| 40 | ORRAIYA | 78.54 | 78.54 |
| 41 | VARANASI | 90.89 | 90.89 |
| 42 | GHAZIPUR | 101.06 | 101.06 |
| 43 | JAUNPUR | 0.00 | 317.00 |
| 44 | CHANDAULI | 0.00 | 76.47 |
| 45 | MIRZAPUR | 105.88 | 105.88 |
| 46 | SONBHADRA | 0.00 | 79.01 |
| 47 | S. R. NAGAR | 0.00 | 0.00 |
| 48 | LUCKNOW | 0.00 | 124.36 |
| 49 | SITAPUR | 207.33 | 207.33 |
| 50 | UNNAO | 0.00 | 225.63 |
| 51 | HARDOI | 0.00 | 238.32 |
| 52 | KHERI | 0.00 | 677.78 |
| 53 | RAE BARELI | 0.00 | 0.00 |
| 54 | GORAKHPUR | 0.00 | 206.51 |
| 55 | DEORIA | 0.00 | 0.00 |
| 56 | KUSHINAGAR | 0.00 | 0.00 |
| 57 | MAHRAJGANJ | 0.00 | 0.00 |
| 58 | BASTI | 0.00 | 187.22 |
| 59 | SIDHARTHANAGAR | 118.41 | 118.41 |
| 60 | S.K.NAGAR | 0.00 | 114.33 |
| 61 | AZAMGARH | 0.00 | 241.33 |
| 62 | MAU | 0.00 | 91.61 |
| 63 | BALLIA | 0.00 | 357.25 |
| 64 | FAIZABAD | 0.00 | 123.47 |
| 65 | BARABANKI | 305.99 | 305.99 |
| 66 | SULTANPUR | 0.00 | 182.16 |
| 67 | AMBEDKARNAGAR | 103.87 | 103.87 |
| 68 | CSM NAGAR | 0.00 | 0.00 |
| 69 | GONDA | 0.00 | 0.00 |
| 70 | BAHRAICH | 0.00 | 0.00 |
| 71 | BALRAMPUR | 0.00 | 169.21 |
| 72 | SHRAWASTI | 0.00 | 0.00 |
| | STATE TOTAL | 2641.12 | 7500.00 |

(रु० छब्बीस करोड़ इकतालीस लाख बारह हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

शु

प्रेषक,

बी०बी० सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

G.O-07/संयुक्ता/2012

23/5/12

सेवा में,

✓ आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 18 मई, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-03/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2012-13, दि0 04 अप्रैल, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन्दिरा आवास योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास हेतु 25 प्रतिशत धनराशि रू0-7500.00 लाख (रू0 पचहत्तर करोड़ मात्र) केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय न किया जाये । ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये । धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । जनपदों द्वारा धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा । केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश से अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये ।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये । किन्हीं भी परिस्थितियों में बैंक में न रखा जाये । उतनी ही धनराशि आहरित की जाय, जितनी 31 मार्च, 2012 तक व्यय हो सके ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । यदि कोई गैप है तो उसे नियमानुसार पूरा किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो इसे वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।
- 6- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना वित्त विभाग को दे दी जाये ।
- 7- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश के सापेक्ष एस0सी0एस0पी0 हेतु आवश्यक राज्यांश आहरित कर सके ।

.....2/-

5

- 8- जनपदों को राज्यांश, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जारी किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक- "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-01-इन्दिरा आवास योजना (के.75/रा.25-रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2011 एवं शासनदेश संख्या-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20.3.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 216 (1)/26-ब०प्र०-2012-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भा०स० कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त परियोजना निदेशक, उ०प्र०।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्यय) अनु०-2/राज्य योजना आयोग-2
- 10- नियोजन अनुभाग-3/5/एन०आई०सी० की प्रति।
- 11- गार्डफाइल/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,
|
(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव।